

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री सीताराम निवासी रांका चौराया, सारोठ तहसील व जिला ब्यावर - अपीलार्थी
बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम

- प्रत्यर्थी

मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 24/2026


क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 05.05.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से जरिये पत्र क्रमांक :- प0 सू.अ.05/2026/628-629 दिनांक 21.04.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील अपीलार्थी श्री एडवोकेट सीताराम मेघवाल पिता अर्जुनलाल निवासी रांका चौड़ा सारोठ तहसील भीम जिला राजसमन्द प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम के संबंध में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर वर्ष 1970 से वर्ष 1999 तक ग्राम पंचायत सारोठ पंचायत समिति भीम जिला राजसमन्द नवीन जिला ब्यावर में किन-किन व्यक्तियों व विभाग कार्यालय को भूमि आवंटन की गई की सूची व आदेश सारणी प्रारूप अनुसार संबंधी सूचना चाही गई। प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया की अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुरानी होने से एवं संकलन संबंधी होने से कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तलाश करवायी जा रही है। इस संबंध में आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक इस कार्यालय के पत्र क्रमांक: प0सू.अ. 05/2026/201 दिनांक 24.02.2026 को सूचित कर दिया गया है, वांछित सूचना मिलने पर आवेदक को उपलब्ध करवा दी जायेगी।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुरानी होकर संकलन संबंधी होने से कार्यालय के उपलब्ध रेकार्ड में तलाश करवाई जा रही है। रेकार्ड में मिलने पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी, फिर भी चाहे तो कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करे बाबत कार्यालय के पत्रांक प0सू.अ.05/2026/201 दिनांक 24.02.2026 से प्रार्थी को सूचित किया गया।</p>	



अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा जरिये पत्रांक प0सू0अ. 05/2026/201 दिनांक 24.02.2026 से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील निर्णित किया जाकर अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर रेकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना उपलब्ध रेकार्ड अनुसार नियमानुसार प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

